

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत कार्य योजना अंतर्गत मेडिसिनल प्लांट्स के ज्ञान का डाक्यूमेन्टेशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु

लेब टेक्नीशियन के साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदकों की सूची एवं साक्षात्कार सूचना

विज्ञापन संख्या : जी-22395/22

साक्षात्कार तिथि : 17-05-2022 (मंगलवार)

साक्षात्कार समय – प्रातः 10:00 बजे से

साक्षात्कार का स्थान – कॉन्फ्रेंस रूम, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, नेहरू नगर कोलार बायपास रोड, साइंस हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

क्र.	आवेदक का नाम	पिता का नाम
1.	श्रीमती अनुराधा द्विवेदी	श्री आजाद द्विवेदी
2.	श्री गुलाब पण्डोले	श्री मोहन लाल पण्डोले
3.	सुश्री देवांशी पाण्डेय	श्री दिनेश प्रताप पाण्डे
4.	श्री पवन झारिया	श्री सोमनाथ झारिया
5.	श्री भविष्य पाटीदार	श्री मोहन लाल पाटीदार
6.	सुश्री तनुशा पाठक	श्री अमर पाठक
7.	मो. अजहरुद्दीन	श्री जलालुद्दीन
8.	श्री रजनीश शर्मा	श्री उदय नारायण शर्मा
9.	श्री नरेश करारे	श्री अशोक करारे
10.	सुश्री अपूर्वा श्रीवास्तव	श्री विपिन श्रीवास्तव
11.	श्री आदित्य भगत	श्री उमाशंकर भगत
12.	सुश्री देवांशी रिछारिया	श्री नरेन्द्र रिछारिया
13.	सुश्री सोनल नेमा	श्री सुभाष चन्द्र नेमा
14.	सुश्री आकांक्षा त्रिपाठी	श्री जी.के. त्रिपाठी
15.	श्री कौशल प्रसाद राय	श्री नन्दी लाल रैदास

आवश्यक सूचना:-

1. प्रदर्शित आवेदकों की सूची प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर निर्मित है एवं मूल दस्तावेजों से मिलान के पश्चात् ही अनिवार्य योग्यता इत्यादि शर्तों की पूर्णता सुनिश्चित होगी।
2. साक्षात्कार हेतु विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता धारक आवेदकों को ही आमंत्रित किया गया है।
3. साक्षात्कार हेतु बुलाए गए आवेदक किसी भी प्रकार से चयन का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।



निरंतर पृष्ठ 2 पर.....

4. उक्त प्रक्रिया की जानकारी केवल वेबसाइट www.klsgaci.edu.in के माध्यम से ही दी गई है। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त अन्य जानकारी का दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
5. विज्ञापन में ही वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुरूप आवेदक अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेज मिलान हेतु एवं एक छायाप्रति (स्वप्रमाणित) लेकर आवें। प्रमुखतः जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र, मान्य पहचान पत्र, अर्हकारी डिग्री/अंकसूचियाँ, अनुभव प्रमाण पत्र, प्रकाशनों की प्रतियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, वर्ग/जाति प्रमाण पत्र, की मूल प्रतियाँ साथ लेकर आवें।
6. प्रोजेक्ट अंतर्गत साक्षात्कार हेतु आवेदकों को किसी भी प्रकार आवागमन भत्ता/साक्षात्कार भत्ता नहीं दिया जावेगा।
7. साक्षात्कार हेतु बुलाए गए सभी आवेदकों को (कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य में) सूचित किया जाता है कि मास्क, सेनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।
8. प्रोजेक्ट अंतर्गत कार्य समाप्ति के पश्चात अथवा भारत सरकार, के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में अथवा अधिकतम 01 वर्ष जो भी पहले हो पर कार्यकाल स्वयमेव समाप्त हो जावेगा जिसकी पूर्व सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी। चयनित अभ्यर्थी को नियम एवं शर्तों के अनुरूप कार्य करना होगा एवं किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त होने से पूर्व मुख्यालय की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी का कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।